सत्यमेव जयते

THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 626 **7 Aashadh, 1940(S)**

Ranchi, Thursday, 28th June, 2018

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification

28th June, 2018

Notification No. 27/2018 – State Tax

S.O. No. 44 Dated 28th June, 2018- In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 67 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017)(hereinafter referred to as the said Act), the State Government hereby notifies the goods or the class of goods (hereinafter referred to as the said goods) mentioned in the Schedule below, which shall, as soon as may be after its seizure under sub-section (2) of section 67 of the said Act, be disposed of by the proper officer, having regard to the perishable or hazardous nature, depreciation in value with the passage of time, constraints of storage space or any other relevant considerations of the said goods.

Schedule

(1) Salt and hygroscopic substances
(2) Raw (wet and salted) hides and skins
(3) Newspapers and periodicals
(4) Menthol, Camphor, Saffron
(5) Re-fills for ball-point pens
(6) Lighter fuel, including lighters with gas, not having arrangement for refilling
(7) Cells, batteries and rechargeable batteries
(8) Petroleum Products
(9) Dangerous drugs and psychotropic substances
(10) Bulk drugs and chemicals falling under Section VI of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)
(11) Pharmaceutical products falling within Chapter 30of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)
(12) Fireworks
(13) Red Sander
(14) Sandalwood

(15) All taxable goods falling within Chapters 1 to 24 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)
(16) All unclaimed/abandoned goods which are liable to rapid depreciation in value on account of fast change in technology or new models etc.
(17) Any goods seized by the proper officer under section 67 of the said Act, which are to be provisionally released under sub-section (6) of section 67 of the said Act, but provisional release has not been taken by the concerned person within a period of one month from the date of execution of the bond for provisional release.

2. This notification shall be deemed to be effective from 13th June, 2018.

[File.NoVaKar / GST / 03/ 2018]
By the order of the Governor of Jharkhand,

K.K. Khandelwal,
Additional Chief Secretary-cum Commissioner.

अधिसूचना सं०. 27/2018- राज्य कर

एस० ओ०--44 दिनांक 28 जून, 2018-- झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 67 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी में वर्णित माल या माल के वर्ग को (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त माल कहा गया है) अधिसूचित करती है, उचित अधिकारी द्वारा, जिसका व्ययन उक्त माल की विनश्वर या परिसंकटमय प्रकृति, समय अंतराल के साथ मूल्य में अवक्षयण, नियंत्रित भंडारण स्थान या अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 67 की उपधारा (2) के अधीन उसके अधिग्रहण के पश्चात् यथाशीध्र किया जाएगा ।

अनुसूची

(1)	लवण और आर्द्रताग्राही पदार्थ
(2)	कच्चे (आर्द और लवणीय) खाल और चर्म
(3)	समाचार पत्र और पत्रिकाएं
(4)	मेंथॉल, कपूर, केसर
(5)	बाल पॉइंट पेन के लिए रिफिल
(6)	लाइटर, ईंधन जिसके अंतर्गत रीफिल न हो सकने वाले गैस लाइटर प्रभावी पदार्थ भी हैं

(7)	सैल, बैटरी और रीचार्जेबल बैटरी
(8)	पेट्रोलियम उत्पाद
(9)	खतरनाक ओषधियां और मन:प्रभावी पदार्थ
(10)	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के खंड-4 के अधीन आने वाली थोक औषधियां और रसायन
(11)	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 30 के भीतर आने वाले औषधीय उत्पाद;
(12)	आतिशबाजी
(13)	लाल चंदन
(14)	चंदन की लकड़ी
(15)	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 1 से 24 के भीतर आने वाले सभी कराधेय माल;
(16)	ऐसा सभी अदावाकृत/परित्यक्त माल जो प्रौद्योगीकी में त्वरित परिवर्तन या नवीन मॉडलों आदि के कारण मूल्य में त्वरित अवक्षयण योग्य है।
(17)	उक्त अधिनियम की धारा 67 के अधीन उचित अधिकारी द्वारा अभिगृहीत कोई ऐसा माल जिसे उक्त अधिनियम की धारा 67 की उपधारा (6) के अधीन अंनतिम रूप से निर्मोचित किया गया है किन्तु संबंधित व्यक्ति द्वारा, अनंतिम रूप से, निर्मोचन के लिए बंधपत्र के निष्पादन की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर निर्मोचन नहीं लया गया था ।

(2) यह अधिसूचना 13 जून, 2018 से प्रवृत्त होगी ।

[सं.सं .वा०कर/जी०एस०टी०/03/2018]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,

अपर मुख्य सचिव-सह-आयुक्त ।

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 626 -- 50.